



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-07072026-274212  
CG-MP-E-07072026-274212

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3498]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3498]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जबलपुर, 6 जुलाई, 2026

**का.आ. 3659(अ).**— केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिला में विशेष रेल परियोजना "सतना - मानिकपुर खण्ड मारकुंडी - मानिकपुर स्टेशनों के मध्य किमी 0 1254/18-20 पर, समपार फाटक संख्या - 403 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी उप जिलाधिकारी मानिकपुर, जनपद- चित्रकूट (उ0प्र0) को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात आदेश, द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं, और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

### अनुसूची

भारतीय रेलवे की विशेष परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के "सतना – मानिकपुर खण्ड: मारकुंडी – मानिकपुर स्टेशनों के मध्य किमी 0 1254 / 18–20 पर, समपार फाटक संख्या – 403 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य" के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्रकूट	मानिकपुर	झरि	82	निजी / शासकीय	असिंचित	0.070
				119	निजी	सिंचित	0.070
				118	निजी	असिंचित	0.080
				117	निजी	असिंचित	0.100
				139	निजी / शासकीय	असिंचित	0.190
				140	निजी	असिंचित	0.020
				138	निजी	असिंचित	0.170
				137	निजी	असिंचित	0.080
				145	निजी	असिंचित	0.150
				500	—	—	0.210
				501	—	—	0.530
				13	शासकीय	असिंचित	0.100
				15	शासकीय (रास्ता)	असिंचित	0.250
				151	निजी	असिंचित	0.490
				5	शासकीय	असिंचित	0.220
<b>कुल योग</b>							<b>2.730</b>

[फा. सं. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/403/20A]

जोन सिंह मीना, मुख्य अभियंता/नि-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****[West Central Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jabalpur, the 6th July, 2026

**S.O. 3659(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008), the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project “**Land to be acquired Satna - Mankipur section: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 403 at Km 1254/18-20 between Markundi - Manikpur station of West Central Railway**” in the District Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh., hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 (D) of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Officer i.e. **Competent Authority and Sub-Divisional Officer (Revenue), Manikpur, Janpad - Chitrakoot (U.P.)** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20 (D) of the said Act shall be final.

The land plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired **Satna - Mankipur section: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 403 at Km 1254/18-20 between Markundi - Manikpur station of West Central Railway**” in the District Chitrakoot in the state of Uttar Pradesh.

SI. No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chitrakoot	Manikpur	Jhari	82	Govt/Private	Unirrigated	0.070
				119	Private	Irrigated	0.070
				118	Private	Unirrigated	0.080
				117	Private	Unirrigated	0.100
				139	Private/ Govt	Unirrigated	0.190
				140	Private	Unirrigated	0.020
				138	Private	Unirrigated	0.170

			137	Private	Unirrigated	0.080
			145	Private/Govt	Unirrigated	0.150
			500	-	-	0.210
			501	-	-	0.530
			13	Govt	Unirrigated	0.100
			15	Govt (Road)	Unirrigated	0.250
			151	Private	Unirrigated	0.490
			5	Govt	Unirrigated	0.220
			<b>TOTAL</b>			<b>2.730</b>

[F. No. WCR-JBPC0ENGC(MICS)/55/2025-O/oDyCE/C-II/STA/403/20A]

JON SINGH MEENA, Chief Engineer/Construction-IV